

--:कार्यालय आदेश:-

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल के स्थान पर नविन अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल नियुक्त किये गये है, जिनके नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल से प्राप्त कर नव नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल को सुपुर्द/उपलब्ध कराने हेतु सभी अधिनस्थ अधिकारियों/न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त केस अधिकारी प्रभारियों को निर्देश जारी कर नव नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल को सुपुर्द करवायी गयी न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां की एक सूची इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी केस अधिकारी प्रभारियों को नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल से सम्पर्क कर जवाबदावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.3(सामान्य)/निचिस्वा/विधि/2019/309

दिनांक: 14-10

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स) निदेशालय मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन/आर.सी.एच) मुख्यालय।
5. औषधी नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय) निदेशालय, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/अजमेर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित कर नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल को उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों की सूची पत्र प्राप्त के 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
8. बोर्ड अधिकारी (एमएनडीवाई/एमएनजेवाई/आरएमएससी) निदेशालय, मुख्यालय।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
11. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य/प0क0) राजस्थान।
12. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
13. ऑ0 बी एम स्वर्णकार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जोधपुर एवं रेटेडिंग केस प्रभारी अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक जान-जोधपुर को भेजकर लेख है विभागीय प्रकरणों की समस्त पत्रावलियां नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण/एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। (चिकित्सा सर्विस मेटर)
15. श्री पंकज शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। (चिकित्सा नोज-सर्विस मेटर)
16. श्रीमती वन्दना भंसाली, एडिशनल गोवर्मेन्ट कौंसिल (चिकित्सा) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
17. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वारंते विभाग की साइड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
18. सूचना सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की साइड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
19. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वेधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


कमाक प0 12(01) राज/वाद/19
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष।

जयपुर दिनांक 11/2

Date: 14-02-2019
13.2.19

DS II / I & III

DLR




12-2-19

विषय:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर में आपके विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण से प्राप्त कर नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण को सुपुर्द करने/उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण द्वारा त्याग-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त उनके त्याग-पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण को पैरवी हेतु विभागों का आवंटन भी किया जा चुका है।

अतः आम-अपने विभाग के प्रकरण प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करे कि आपके विभाग से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां आपके विभाग की पैरवी हेतु नियुक्त पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता से प्राप्त कर नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुपुर्द/उपलब्ध करावे तथा नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुपुर्द करायी गयी न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियों की सूची की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।



(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, वेधि

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

PA/ADD: (M&HS) (ADM)

3/23/19

27/3/19

कमांक एफ 15(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2018 पाई लूज, जयपुर, दिनांक

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राज0, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राज0, जयपुर।

उप विधि परामर्शी,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राज0, जयपुर।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की पत्रावलियां अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री करण सिंह राजपुरोहित को स्थानान्तरण करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पत्र कमांक 63 दिनांक 15.03.19 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि विधि विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 06.03.19 के द्वारा चिकित्सा विभाग के सर्विस मैटर्स में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अतः उक्त पत्रानुसार समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करावें कि वे नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर विभागीय पत्रावलियां उनको स्थानान्तरित करावें व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विभागीय पक्ष रखवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)

उप शासन सचिव

KARAN SINGH RAJPUROHIT

ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL
RAJASTHAN



सत्यमेव जयते

RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES
JODHPUR - 342001
☎ 0291-2545185

No. 63

डायरी क्रमांक 829
दिनांक 22/3/19 Dt. 15-3-19
चिकित्सा, एच. स्पा. (सूब-3) विभाग

To,

The Principal Secretary (Medical & Health)
Government of Rajasthan
Secretariat, Jaipur

Doc No. 263
Date 19/3/19

Sub: Transferring files of Medical Department (Service Matters) from Previous Advocate for the department to the undersigned in pursuance of order dated 6.3.2019.

Sir,

This is to inform you that vide letter dated 6.3.2019 bearing letter no. 12(3) Raj/Case/99, Part, issued by the Law and Legislative Department, Government of Rajasthan, Jaipur the undersigned Additional Advocate General has been appointed to contest cases relating to Medical Department (Service matters). It is to inform you that the files and documents of the cases of Medical Department (Service Matters) are lying with the previous counsel and are not being transferred on account of unknown reasons. Therefore, you are requested to direct the respective counsels to transfer the files of the Medical Department (service matters) at the earliest, failing which the undersigned shall not be responsible if any adverse orders are passed against the department. Also the Officers-in-charge may kindly be directed to contact the office of undersigned to regulate the transfer of files and provide with the instructions from the department.

Your's Sincerely,

Karan Singh Rajpurohit,
Additional Advocate General.

Copy to: 1. Principal Secretary, Law and Legislative Department, Gov.
of Rajasthan, Jaipur. 2. Advocate General, Jaipur

Residence : Plot No. 9, Behind Radha Krishna Temple, Pal Link Road, Jodhpur
Mobile . 94141-00345 E-mail . karansinghrajpurohit345@gmail com

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/जाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 7-1-19

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जांघपुर में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्तागण के विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है-

S.No	Name of AAG	Departments
1	Shri Sandeep Shah	Mining, Finance, Forest & Industries.
2	Shri Sunil Beniwal	Cooperative, DOP & Transport, Election, Panchayat Raj Department
3	Ms. Rekha Borana	Information & Techonlogy, Tourism, Water Resources, Women Empowerment, UDII, Local Self Department, Revenue.
4	Shri Manish Vyas	Primary Education, Labour & Employment, Ayurved, Technical Education, Devasthan, Service matters of Medical, Home Department and Medical Education, Higher Education.
5	Shri Karan Singh Rajpurohit	Agriculture, PWD, Food & Civil Supplies, Home Department (other than service matters), Planning
6	Shri Pankaj Sharma	Medical Department (non-service matters), Energy, PHED, Secondary Education, Colonisation
7	Shri Anil Gau	Sanskrit Education, GAD, Social Justice & Empowerment, Animal Husbandary, Disaster Management, DPR.

नोट-

- उक्त विभाग आवंटन के अतिरिक्त विधि एवं विधिक कार्य विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग की सकारण प्रार्थना पर अथवा अपने स्वविवेक से कोई भी प्रकरण किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवंटित कर सकेगा।
- उक्त आवंटित विभागों में से किसी भी विभाग का परिवर्तन/परिवर्द्धन महाधिवक्ता से विचार-विमर्श/सलाह से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
- पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण इस आदेश से पूर्व के आवंटित प्रकरणों की सम्पूर्ण पत्रावलीयां इस आदेश में वर्णित विभाग-आवंटनानुसार संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को यथाशीघ्र सुपुर्द करेंगे। जिन्हें वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता यथाशीघ्र उनसे प्राप्त करेंगे।
- सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण/सभी प्रशासनिक विभाग प्रकरण आवंटन के संबध मे समय-समय पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

अज्ञात

६०

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 06/03/19

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में नवनियुक्त असिस्टेंट गवर्नमेंट कौंसिलगण को सारणी के कॉलम संख्या-4 में अंकित अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल के साथ एवं उनके निर्देशों में उनके सहायक के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

S. No.	Name of Advocate	Enrolment No.	AAG/ GC
1.	Shri Deepak Chandak	R/1149/2014	Shri Pankaj Sharma, AAG
2.	Shri Balaram Kumawat	R/703/2003	Miss Rekha Borana, AAG
3.	Shri Manish Gehlot	R/943/2001	Shri Anil Gaur, AAG
4.	Shri Shrawan Kumar Bavri	R/2585/2004	Shri Hemant Choudhary, GC
5.	Shri Hanuman Ram Vishnoi	R/1294/2015	Shri Mahesh Bishnoi, GC
6.	Shri Surendra Singh Rathore	R/821/2002	Shri K.S. Rajpurohit, AAG
7.	Shri Anand Khinchi	R/936/2000	Shri Manish Vyas, AAG
8.	Shri Harshit Burani	R/804/2014	Shri L.K. Purohit, GC
9.	Ms. Apurva	R/1735/2015	Shri Sandeep Shah, AAG
10.	Shri Piyush Bhandari	R/2075/2012	Shri Sunil Beniwal, AAG

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,1118

जोधपुर दिनांक 06/03/2019

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के रामक्ष प्रस्तुत होने वाले रामरत सिविल मामलो की पैरवी हेतु नियुक्त गवर्नमेंट कौंसिल/एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल एवं डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल को विभागो का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है-

क्र.सं	काउन्सिल का नाम	आवंटित विभाग
01	श्री महेश चन्द्र बिश्नोई (गवर्नमेंट कौंसिल)	Agriculture, Animal Husbandry
02	श्री लूणकरण पुरोहित (गवर्नमेंट कौंसिल)	Revenue other than service matters
03	श्री देवदत्त चौधरी (गवर्नमेंट कौंसिल)	Secondary Education
04	श्री राजेंद्र बिस्सा (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Panchayat, Elementary Education
05	श्री राजेश परिहार (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	U.D.H, Local Sell Department
06	श्री विमलजय सिंह जसोट (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Mining, Forest & Environment
07	श्री दिनेश जोशी (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Devasthan, G.A.D
08	श्री रवि पवार (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Tourism, Pension
09	श्रीमती वन्दना भसाली (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Medical, Home, Women and Child Development
10	श्री भरत देवासी (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Technical Education, Sanskrit Education
11	श्री गिरिश जोशी (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Revenue (service matters) command area
12	श्री हिमाशु श्रामाली (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Labour, Ayurved, Higher Education
13	श्री तलत वारी (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Waqf, Social Justice, Minority
14	श्रीमती अभिलाषा बोडा (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Water resources, D.O.P.
15	श्री अनिल बिस्सा (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	Women and Child Development, I.G.N.P., Home P.W.D., Irrigation
16	श्री आनेल वाघावत (एडिओ गवर्नमेंट कौंसिल)	P.W.D., Irrigation
17	श्री सुखराम बिश्नोई ताडवट (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Agriculture
18	श्री मेरदीन मेहर (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Minority, Ayurved
19	श्री गुरेश पुरोहित (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Technical Education, Sanskrit Education
20	श्री दिनेश जैन (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Food and Civil Supplies
21	श्री विरमन कुंभर जाफिड (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Secondary Education
22	श्री मन्मथ टाक (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	I.G.N.P.
23	श्री भृगुराम सिंग (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Cooperative, Service matters of revenue department
24	श्री मन्मथ सिंह (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Labour, Social Justice
25	श्री धमेन्द्र राठोड (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	11

DA Jodhpur

R
18/3

18/3



26	अज्ञान जाया (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Transport, P H E.D.
27	श्री महेन्द्र कुमार झूली (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Arts, Culture and Sports
28	श्री मावना जागिंड (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Elementary Education
29	श्री रामदयाल चौधरी (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Revenue other than service matters
30	श्री देवदत्त कल्या (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Animal Husbandry, Fishery and Dairy
31	श्री महेन्द्रसिंह (डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल)	Tourism and R T D C.

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

परिभाषित निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- 2 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
- 3 महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
- 4 समस्त अति महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच।
- 5 राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
- 6 समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
- 7 संबंधित अधिवक्ता।
- 8 अधीक्षक, कन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 9 निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- 10 सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
- 11 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12 निबंधक, राजस्थान गण्डल, अजमेर।
- 13 सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 14 विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
- 15 कोषाधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर।
- 16 लेख शाखा, विधि विभाग।
- 17 पूर्व गवर्नमेंट कौंसिल/एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलि का संबंधित नवनियुक्त गवर्नमेंट कौंसिलगण का सुपूर्द करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करें, जोधपुर।
- 18 प्रांगमर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 19 रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

2322

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वा.करण)

Date No. ~~11-3-19~~ /PSI/ACSM&H/2019
Date: 11-3-19

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 6/3/19

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की पैरवी हेतु नियुक्त निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्तागण को इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.19 द्वारा विभिन्न विभागों का आवंटन किया गया था। इस विभाग के उक्त आदेश को अतिरिक्त करते हुए उन्हें विभागों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है:-

S.No.	Name of AAG	Departments
1.	Shri Manish Vyas	Primary Education, Technical Education, Devasthan, Service matters of Home Department and Medical Education, Higher Education.
2.	Shri Karan Singh Rajpurohit	Agriculture, PWD, Food & Civil Supplies, Home Department (other than service matters, Bail applications, 482 petitions, Criminal revisions, Criminal appeals and Criminal Writ petitions), Planning, Service matters of Medical Department.
3.	Shri Anil Gaur	Sanskrit Education, GAD, Social Justice & Empowerment, Animal Husbandary, Disaster Management, DPR, Labour & Employment, Ayurved.

अन्य निर्देश दिनांक 07.01.19 के अनुसार ही रहेंगे।

आज्ञा से,
6/3/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)

मुख्य शासन सचिव, विधि

Health

D.L.R

3.3.19

DA Joalapur

12/18/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. प्रमुख शासन सचिव मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव मा० उपमुख्यमंत्री/नित्य सचिव मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संसद प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/पिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिदलय के संसद विभाग।
3. महाधेपक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पी० जयपुर।
4. संसद प्रति महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच।
5. राजस्थान अधिवक्ता/राजस्थान काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. संसद अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संसद अधिवक्ता।
8. अध्यक्ष, केन्द्रीय मुद्रणालय राज० जयपुर को राज पत्र क आगामी अंक में प्रकाशनाथ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. सचिव जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निदेशक, राज० मण्डल, अजमेर।
13. सचिव राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के सम्बन्ध प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिदलय, जयपुर।
16. लेख राखा विधि विभाग।
17. अतिरिक्त महाधिवक्ता/राज० जयपुर।
18. प्रचार विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. संसद सत्रावली।


7/11/19

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिद विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट जन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।

16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभा। को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।



(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

DLR